न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 160/14 निर्णय दिनांकः—28-07-2022
(जीसीएमएस संख्या 2014/00308)

1. फूसाराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी ग्राम रामसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. मोहनराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम रामसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. भंवरलाल पुत्र फूसाराम जाति खाती निवासी रामसर तहसील व जिला बीकानेर। (फौत)

1/1.	बाधुदेवी	पिसरान स्व. भंवरलाल जाति खाती निवासी रामसर तहसील व जिला बीकानेर।
1/2.	कमला	
1/3.	ओमप्रकाश	
1/4.	कालूराम	
1/5.	शारदा	

2.	फूसाराम पुत्र तारूराम	जाति खाती निवासी रामसर तहसील व जिला बीकानेर।
3.	पूर्णाराम पुत्र फूसाराम	
4.	ईश्वरराम पुत्र फूसाराम	
5.	बीरबलराम पुत्र फूसाराम	

6. श्रीमती लिखमा पत्नी रूपाराम पुत्री फूसाराम जाति खाती निवासी खिंयेरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
7. श्रीमती तुलछी पत्नी श्री भंवरलाल पुत्री फूसाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 19—02—2014
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः—
1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 19–02–2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम रामसर के खेत खसरा नम्बर 1836/581 तादादी 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 442 तादादी 5.51 हेक्टर, खसरा नम्बर 424/1 तादादी 0.79 हेक्टर, खसरा नम्बर 481/1 तादादी 7.93 हेक्टर कुल तादादी 14.30 हेक्टर भूमि व ग्राम नापासर के खसरा नम्बर 1414 व 1413 तादादी 3.4500 हेक्टर भूमि स्थित है। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट्स के पिता फूसाराम से ग्राम रामसर के खेत खसरा नम्बर 481 तादादी 8.72 हेक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–04–2011 के माध्यम से क्रय की गई थी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट्स के नाम इंतकाल संख्या 2025 दर्ज किया गया। इस प्रकार तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स का नाम दर्ज चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट्स खरीद की दिनांक से काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलाट्स द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष पक्षकार स्थापित करने हेतु आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी होते हुए भी अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार स्थापित नहीं किया गया व अपीलांट्स के पीठ पीछे एकतरफा तौर पर वादग्रस्त भूमि के बाबत् वाद के अंतिम निपटारे तक भूमि के मौक व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विक्रय न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पाबन्द करने के आदेश प्रदान किये गये है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 481 तादादी 8.72 हेक्टर ग्राम रामसर फूसाराम पुत्र तारूराम को विक्रय करने के अधिकार का प्रश्न है, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत फूसाराम उक्त भूमि का तन्हा खातेदार होने के आधार पर ही उक्त भूमि का बेचान फूसाराम पुत्र तारूराम द्वारा किया गया है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् जो अधिकार फूसाराम पुत्र तारूराम को प्राप्त थे वे समस्त अधिकार अपीलांट्स में समाहित हो चुके है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर व पुराने खसरा नम्बरान् का मेल किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इस संबंध में मिलान क्षेत्रफल व सूची नम्बर चार जिसके माध्यम से पुराने व नये खसरा नम्बरान् का मिलान किया जाता है, पर विचार किये बिना अपील आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जबकि वादग्रस्त भूमि के मौके पर लगातार अपीलांट्स का बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। चूंकि वादग्रस्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट्स के पिता द्वारा अपीलांट्स के हक में किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फूसाराम पुत्र तारूराम द्वारा इस तथ्य से इंकार किया जा सकता है ना ही अन्य रेस्पोडेन्ट्स का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना रहा है ना ही कोई हक व हिस्सा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट्स द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। जिसके कारण अपीलांट्स अपनी खरीदशुदा भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो रहे है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सकती। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 ता 7 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 24—02—2021 को एकतरफा कार्यवाही की गई व रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ता 1/5 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19—05—2022 को No instruction Plead किये जाने पर न्यायालय की तरफ से दिनांक 24—05—2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपील में अभिभाषक अपीलांट्स की बहस सुनी गई।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम रामसर के साबिका खसरा नम्बर 771, 379, 381 मीन की 167 बीघा 19 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 422, 423, 424, 481, 482, 483, 487, 488, 1520, 1836/481, 1862/425, 1901, 1836/581, 422, 424/1, 424 व 481 पैमूद हुए है, के बाबत् वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखते हुए विकय से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर उक्त अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 481 तादादी 9.72 हेक्टर भूमि के सद्भावी केता है जिसे उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार फूसाराम पुत्र तारूराम से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को ध्यान में रखे बिना व अपीलांट्स को पक्षकार स्थापित किये बिना व आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित किया गया है। जिसके विरूद्व अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 481 तादादी 8.72 हेक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–04–2011 को क्रय की गई है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 06–08–2009 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की गई कि अपने हिस्से से अधिक व विशिष्ट भू–भाग का विक्रय नहीं करने के आदेश प्रदान किये गये। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि वर्ष 2011 में क्रय किये जाने के उपरान्त अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में पक्षकार स्थापित होने के बाबत् दिनांक 14–08–2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19–02–2014 को ही अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका था। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक आदेश जैर अपील का प्रश्न है, अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता तारूराम पुत्र बिरूराम की खातेदारी भूमि है, जिस पर तारूराम की मृत्यु के उपरान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी भंवरलाल/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/7 हक व हिस्सा बनता है, ऐसी स्थिति में अन्य सह खातेदारों को अपने हिस्से की भूमि से अधिक हिस्सा विक्रय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा यह अभिलिखित करते हुए कि पक्षकारों के मध्य मूल वाद बटवारें का विवादित है, अतः दोनों पक्षों को वाद के अंतिम निपटारे तक भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विक्रय न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार तारूराम पुत्र बिरूराम के वारिसान जिसमें रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 7 जिसमें फूसराम का तारूराम का पुत्र होने के आधार पर व अन्य पक्षकारों का तारूराम दादा होने के नाते वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा बनता है अथवा नहीं? अपीलांट्स जिनके द्वारा फूसाराम पुत्र तारूराम से वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 481 तादादी 8.72 हेक्टर भूमि क्रय की गई है, उक्त भूमि फूसाराम के हक व हिस्से की भूमि बनती है अथवा नहीं? वादग्रस्त भूमि के बाबत् बतौर तारूराम के वारिसान सभी पक्षों द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् अपना –अपना क्लेम किया जा रहा है। लिहाजा प्रकरण में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के हक व हिस्से/स्वामित्व का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर पक्षकार स्थापित होने का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट्स के अधिकारों का निर्धारण भी जैरकार वाद में ही तय होना है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर मामलें में और विवाद बढ़ने की संभावना व वादग्रस्त भूमि को अपने हक व हिस्से अधिक बेचान किये जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादगत् भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए सभी पक्षों को पाबन्द किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष को निर्णय से मुक्त करते हुए अन्य पक्षकारों के विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता लिहाजा अदालत मातहत का आदेश विधिक प्रावधानों के तहत पारित आदेश होने से अपीलाधीन आदेश में अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर, बीकानेर का आदेश दिनांक 19–02–2014 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 28/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर